


10



नोटेन्डॉ. २९६/२०१७

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष राजस्व मण्डल
ग्रालियर बैंच भोपाल

F 296 I N 17

प्र.क.

तमगाज अली पुत्र श्री सरवर अली
आयु व्यस्क
निवासी - मोहल्ला, ठोरी सिरोंज,
जिला विदिशा, हाल निवासी - भोपाल

...निवासी कर्ता

विरुद्ध

जाहिद अली पुत्र श्री सरवर अली
आयु व्यस्क
निवासी मोहल्ली ठोरी सिरोंज,
जिला विदिशा म.प्र.

ग्रालियर बैंच भोपाल

निवासी अंतर्गत धारा ५० म.प्र. भू.रा.संहिता १९५९

अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय अपर
आयुक्त महोदय भोपाल संभाग भोपाल के प्रकरण क्रमांक
184/नि/ 10-11/आदेश दिनांक 06/05/2016 से
परिवेदित एवं दुःखी होकर अपीलार्थी जानकारी दिनांक
६२/०१/२०१८ से समयावधि में प्रस्तुत है।

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य

यह कि ग्राम मुण्डरा घाट, प.ह.नं. 12, तहसील
सिरोंज, जिला विदिशा इथत भूमि सर्वे क्रमांक 52/1
रकबा 2.561 हेक्टेयर में से 2.125 हेक्टेयर भूमि के
भू-स्वामी अपीलार्थी के बडे भाई ने अपीलार्थी को
मौखिक हिंदा किया था और हिंदा के समर्थन में प्रत्यर्थी/
प्रतिअपीलार्थी ने शपथ पत्र तस्वी कराकर अपीलार्थी के
समर्थन में तहसीलदार के समक्ष दिया था। उक्त भूमि
पर अपीलार्थी ने हिंदा के आधार पर नामांतरण का
आवेदन तहसीलदार महोदय के समक्ष मण्डल 2 में
प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ तहसील न्यायालय ने

5

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - गवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

ग्राम पंचायत - निगरानी-296-एक/17

जिला - विदिशा

पक्षकारों एवं अभिभाषकों
आदि के हस्ताक्षर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	
04/12/2018	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री के.के. द्विवेदी उंपस्थित। उनके द्वारा प्रकरण को आगे नहीं चलाए जाने का अनुरोध किया गया। उनका निवेदन स्वीकार करते हुए प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है।</p> <p style="text-align: center;">~ प्रशासकीय सदस्य</p> <p style="text-align: center;">(3)</p>	